पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाईट www.ptcul.org

पत्रांकः 434/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर0–2/9 दिनांकः 17.03.2026

विषयः पी0आर0डी0 जवानों/अनुसेवकों की मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 18.03.2026 से अनिश्चित कालीन हड़ताल के सम्बन्ध मे।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी
पिटकुल.....................।

कृपया उपर्युक्त विषयक **प्रदेश संयोजक सचिव प्रान्तीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखण्ड** के पत्राक 110/पी0आर0डी0/हड़0/2026–27 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा पी0आर0डी0/अनुसेवक जवानों को नियमित रोजगार तथा 365 दिन का नियमित रोजगार तथा हॉमगार्ड की भांति मूल वेतन पर डी0ए0 देने के साथ–साथ समान कार्य का समान वेतन सम्बन्धी 2 सूत्रीय मांगो पर कार्यवाही न होने के कारण दिनांक 18.03.2026 से अनिश्चित कालीन हडताल/धरना प्रदर्शन किये जाने का नोटिस प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में संज्ञान में लाना है कि उक्त संगठन पिटकुल में पंजीकृत कर्मचारी यूनियनों/संगठनों में सम्मिलित नही है। अतः इनके द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में दिये गये पत्र का कोई वैधानिक अस्तित्व नही है।

इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–103/।(2)/ 2026–05–107/2003 दिनांक 11.02.2026 के द्वारा **"अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966"** (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है किः–

1. यदि कोई पी0आर0डी0 जवान/अनुसेवक डयूटी के दौरान उपरोक्त कथित हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके विरूद्ध **"कार्य नही तो वेतन नही"** का सिद्धान्त लागू करते हुए सम्बन्धित पी0आर0डी0 कार्यालय को वेतन कटौती एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित करें साथ ही हड़ताल में सम्मिलित कार्मिकों की सूचना से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. यदि कोई पी0आर0डी0 जवान/अनुसेवक बिजली घरों/कार्यालयों की चल–अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित पी0आर0डी0 कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. यदि आवश्यकता हो तो अपने–अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करते हुए अपने दैनिक कार्यो का सुचारू रूप से संचालन करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः....................2

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति एवं हड़ताल में शामिल पी0आर0डी0 जवान/अनुसेवक की सूचना से प्रबन्ध निदेशक महादेय को निदेशक (मा0सं0) महोदय के माध्यम से सूचित करने हेतु महाप्रबन्धक (मा0सं0) कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नक :– यथापरोक्त।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (औ0)

पत्रांकः /म0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन), पिटकुल को निदेशकगणो के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह इस पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वेबसाईड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
4. श्री संजय पंवार, प्रदेश संयोजक सचिव प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखण्ड।
5. समस्त पी0आर0डी0 जवान/अनुसेवक, पिटकुल..............।
6. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/सूचना पट।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (औ0)

प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखण्ड

पत्रांक.– 116 / पी0आर0डी0 / हड0 / 2026–27 दिनांक 17/03/26

सेवा में,

समस्त–विभागाध्यक्ष /
सरकारी / अर्द्धसरकारी / संस्था / निगम परिषद
पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड
देहरादून

विषयः– **पी0आर0डी0 जवानों की मांगों के सम्बन्ध में अनिश्चित कालीन हडताल के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि पी0आर0डी0 जवानों की मूलभूत मांगों के सम्बन्ध में सरकार / विभाग ने कई वर्षों से जवानों के हित में **365 दिन का नियमित रोजगार तथा हॉमगार्ड की भांति मूल वेतन पर डी0ए0 देने के साथ–साथ समान कार्य का समान वेतन** सहित आज तक सरकार और विभाग ने कोई उचित कार्यवाही एवं ठोस निति इन जवानों के लिए नहीं बनाई गई है। जबकि आज की महगांई को देखते हुए विकट भौगौलिक परिस्थितियों में पी0आर0डी0 का जवान अपनी सेवाऐं प्रत्येक दशा में अपनी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ दे रहा है। इतनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवायें प्रदान करने के बाद भी पी0आर0डी0 के जवानों का कोई भविष्य नहीं है। इस सब बातों को मध्यनजर रखते हुए संगठन और उत्तराखण्ड के समस्त महिला / पुरुष पी0आर0डी0 जवानों ने विवश होकर कठोर निर्णय लिया है कि जब तक हमारी 02 सूत्रिय मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक उत्तराखण्ड का समस्त पी0आर0डी0 का जवान दिनांक–18.03.2026 से अनिश्चित कालीन हड़ताल / धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश है।

अतः महोदय आपसे संगठन अनुरोध करता है कि आपके अधीनस्थ तैनात समस्त महिला / पुरुष पी0आर0डी0 के जवानों को दिनांक–18.03.2026 से हड़ताल समाप्ति तक धरना प्रदर्शन में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

17/03/26

संजय पंवार
प्रदेश संयोजक सचिव
प्रांतीय रक्षक दल हित
संगठन उत्तराखण्ड
मो0–9411582032

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि 17/03/26 at 5.20pm

प्राप्तकर्ता
कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

No. 474 /MD/PTCUL/ 61 Dt. 12/02/26

मo प्रo (मानo संo)(औo)

12/2/26

प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः–103/I(2)/2026-05-107/2003
देहरादून, दिनांक 11 फरवरी, 2026
अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अंब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफॅ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–103 /I(2)/2026-05-107/2003 तददिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
2 . पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3 . आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेख सामाग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ प्रेषत। असाधारण गजट की 100 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. **प्रबन्ध निदेशक**, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।
9. प्रभारी, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अतुल कुमार सिंह)
उप सचिव

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि 12/02/26
प्राप्तकर्ता
कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 437
File
Date 12/02/26

18/2/2026